**ग्राम पंचायत ललड़ी , विकास खण्ड हरोली , जिला ऊना हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

**अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018**

**भाग – एक**

## 1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या: PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत ललड़ी, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

**अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :-**

**प्रधान :-**

| क्रम संख्या | प्रधान का नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्रीमती सुखविंदर देवी | 1-04-2015 से 22-01-2016 |
| 2 | श्रीमती संयोगिता रानी | 23-01-2016से लगातार |

**सचिव :-**

| क्रम संख्या | सचिव का नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री चरण सिंह | 1-04-2015 से 28-02-2016 |
| 2 | श्रीमती रीना रानी | 1-03-2016 से 4-08-2017 |
| 3 | श्री अशोक कुमार | 5-08-2017 से 15-03-2018 |
| 4 | श्री संजीव कुमार | 16-03-2018 से 31-03-2018 |

**(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-**

ग्राम पंचायत, ललड़ी के लेखाओं अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

| क्रम संख्या | पैरा संख्या | अनियमितताओं का संक्षिप्त सार | राशि (लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष | 0.34 |
| 2 | 6 | अनुदान का उपयोग न करना | 27.33 |
| 3 | 7 | 7 सोलर स्ट्रीट लाइट का क्रय हिम उर्जा से न करने के कारण किया गया अपव्यय | 0.41 |
| 4 | 8 | औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री व अन्य सामान का क्रय करना | 8.24 |
| 5 | 9 | उचित बिलों के बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना | 5.54 |
| 6 | 10 | क्रय सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में प्रविष्टीयाँ न करना | 14.05 |
| 7 | 11 | मनरेगा में मस्टररोलो के अंतर्गत भुगतान की गई मजदूरी के फण्ड हंस्तान्त्रण आदेश (FTO) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना | 11.73 |

## भाग – दो

## 2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत ललड़ी, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 24-05-2018 से 28-05-2018 तक परिसर ग्राम पंचायत , ललड़ी में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैरग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

आय:- 2/16, 3/17 व 5/17

व्यय:- 10/15, 11/16व 8/17

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उतरदायी नहीं होगा।

**3 अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत ललड़ी, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 132 दिनांक 26-05-2018 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत , ललड़ी से अनुरोध किया गया , जिसकी अनुपालना में सचिव ग्राम पंचायत , ललड़ी द्वारा उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को के० सी० सी० बी० हरोली के बैंक ड्राफ्ट संख्या 292903 दिनांक 28-05-2018 के अंतर्गत निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 हिमाचल प्रदेश के नाम भेज दिया गया है।

**4 (क) वितीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत , ललड़ी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के लेखाओं की संकलित वितीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट –क** पर भी दिया गया है।

| वितीय वर्ष | आरम्भिक शेष | आय | ब्याज | कुल योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 1192514 | 4965933.5 | 45631 | 6204078.5 | 5293292 | 910787 |
| 2016-17 | 910787 | 4785548 | 74706 | 5771041 | 2790393 | 2980648 |
| 2017-18 | 2980648 | 4998184.3 | 147856 | 8126688.3 | 5060346 | 3066342 |

**(i) स्वयं स्त्रोत:-**

ग्राम पंचायत , ललड़ी द्वारा **परिशिष्ट – क** पर अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना के अनुसार अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 तक स्वयं स्त्रोतों की वितीय स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :-

| वितीय वर्ष | आरम्भिक शेष | आय | ब्याज | कुल योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 85223 | 92887 | 41204 | 219314 | 167741 | 51573 |
| 2016-17 | 51573 | 83963 | 74372 | 209908 | 59494 | 150414 |
| 2017-18 | 150414 | 66568 | 146513 | 363495 | 31909 | 331586 |

**(ii) अनुदान :-**

ग्राम पंचायत , ललड़ी के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के अनुदानों की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट – क** पर भी दिया गया है।

| वितीय वर्ष | आरम्भिक शेष | आय | ब्याज | कुल योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 903669 | 2678988.5 | | 3582657.5 | 2764212 | 818446 |
| 2016-17 | 818446 | 2813896 | | 3632342 | 867442 | 2764900 |
| 2017-18 | 2764900 | 2870175 | | 5635075 | 2901996 | 2733079 |

**iii) आई ० ए० वाई ० :-**

ग्राम पंचायत ललड़ी के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के आई० ए० वाई० की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट – क** पर भी दिया गया है

| वितीय वर्ष | आरम्भिक शेष | आय | ब्याज | कुल योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 2761 | 112500 | 507 | 115768 | 75000 | 40768 |
| 2016-17 | 40768 | 65000 | 334 | 106102 | 40768 | 65334 |
| 2017-18 | 65334 | 195000 | 1343 | 261677 | 260000 | 1677 |

**iv) आई ० डब्लयू ० एम ० पी ०:-**

ग्राम पंचायत ललड़ी के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के आई० डब्लयू० एम० पी० की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट – क** पर भी दिया गया है

| वितीय वर्ष | आरम्भिक शेष | आय | ब्याज | कुल योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 200861 | 143027 | 3920 | 347808 | 347808 | 0 |
| 2016-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**v) मनरेगा :-**

ग्राम पंचायत ललड़ी के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के मनरेगा की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट – क** पर भी दिया गया है

| वितीय वर्ष | आरम्भिक शेष | आय | ब्याज | कुल योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 0 | 1938531 | 0 | 1938531 | 1938531 | 0 |
| 2016-17 | 0 | 1822689 | 0 | 1822689 | 1822689 | 0 |
| 2017-18 | 0 | 1866441.3 | 0 | 1866441.3 | 1866441.3 | 0 |

**अन्त शेष का विवरण :-**

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31-03-201 8 को रोकड़ बहियों व बैंक खाते के अनुसार अन्तिम शेष का विवरण निम्नानुसार है।

| क्रम सं० | निधि का नाम | बैंक का नाम | खाता संख्या | बैंक में जमा शेष राशि | रोकड़ बही के अन्तर अनुसार अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | स्वंय स्त्रोत व अनुदान | के० सी० सी० सी० बी० हरोली | 20048031387 | 3062485 | 3064665 |
| 2 | स्वंय स्त्रोत व अनुदान(स्वच्छ भारत मिशन) | के० सी० सी० सी० बी० हरोली | 30774 | 2180 | |
| 3 | आई .ए.बाई. | के० सी० सी० सी० बी० हरोली | 20048032096 | 1677 | 1677 |
| 4 | आई० डब्लयू० एम० पी० | पी.एन.बी. टाहलीवाल | 1181000400063730 | 0 | 0 |
| 5 | मनरेगा | टाहलीवाल | 1181000100065320 | | |
| | | | **योग** | **3066342** | **3066342** |

**(ख) बैंक समाधान विवरणी को प्रतिमाह तैयार न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था। परन्तु पंचायत के लेखाओं की जांच में पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना पूर्ण रूप में नहीं की जा रही है। लेखांकन के मूलभूत नियमों के अनुसार बैंक समाधान विवरणी का प्रतिमाह बनाया जाना आवश्यक है। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी प्रति माह तैयार नहीं की गई है। अतः बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रत्येक माह के अंत में बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए ।

**(ग ) रोकड़ बहियों के दैनिक व मासिक शेष न निकालना :-**

लेखांकन के नियमों के अनुसार रोकड़ बही में हुए लेनदेन की प्रविष्टियों को करने उपरान्त प्रत्येक दिन का आरम्भिक शेष दैनिक आय ब व्यय का विवरण देकर अन्तिम शेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त एवं वर्षान्त भी आरम्भिक शेष, आय ब व्यय का विवरण देकर अन्तिम शेष निकालना आवश्यक है रोकड़ बहियों में दैनिक, मासान्त एवं वर्षान्त भी आरम्भिक शेष ,आय ब व्यय का विवरण देकर अन्तिम शेष न निकालने तथा बैंक खातों के साथ मिलान न किए जाने के कारण यह वास्तविक स्थिति प्रस्तुत नहीं कर ती है। अतः रोकड़ बहियों में दैनिक, मासान्त एवं वर्षान्त में आरम्भिक शेष, आय ब व्यय का विवरण देकर अन्तिम शेष न निकालने का औचित्य स्पष्ट किया जाए ब भविष्य में रोकड़ बहियों में दैनिक, मासान्त एवं वर्षान्त में आरम्भिक शेष आय ब व्यय का विवरण देकर अन्तिम शेष निकाले जाने सुनिश्चित किए जाए।

**(ड.) नियमविरुद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का निर्माण करने बारे :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए जाने का प्रावधान है । परन्तु जांच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा वर्तमान में अलग – अलग पांच रोकड़ बहियों का अनुरक्षण किया गया है । अतः नियमों के विरुद्ध एक के स्थान पर पांच रोकड़ बहियों का रखरखाब करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए ब भविष्य में अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए नियमानुसार एक ही रोकड़बही का अनुरक्षण करना सुनिश्चित किया जाए।

**(च) नियमों के विरुद्ध बैंक बचत खातों खोला जाना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है । जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वंय संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है । परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा दो के स्थान पर पांच बैंक बचत खाते

खोले गए हैं। अतः नियमों के विरुद्ध अधिक खोले गए तीन बैंक खातों को बन्द करना सुनिश्चित किया जाए।

**(छ ) वर्गीकृत सार तैयार न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार तैयार करते हुए आय तथा व्यय को दो भागों में बनाया जायगा, जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियंत्रित रखा जाना है । परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इसके न बनाये जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ सम्भव न हो सका । अतः बर्गीकृत सार तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए ब भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

**5 पंचायत राजस्व₹0.34 लाख का वसूली हेतु शेष :-**

सचिव ग्राम पंचायत ललड़ी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार निम्न विवरणानुसार दिनांक 31-03-201 8 तक पंचायत के राजस्व ₹33750 वसूली हेतु शेष थी , जिसका विवरण **परिशिष्ट –ख** पर भी दिया गया है।

**(क) गृहकर :-**

| वर्ष | अथ शेष | मांग | योग | प्राप्ति | वसूली हेतु शेष राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 200 | 25575 | 25775 | 25525 | 250 |
| 2016-17 | 250 | 31080 | 31330 | 31080 | 250 |
| 2017-18 | 250 | 31500 | 31750 | 0 | 31750 |

**(ख) मोबाईल टावर :-**

**i) रिलायंस जीयो**

| वर्ष | अथ शेष | मांग | योग | प्राप्ति | वसूली हेतु शेष राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 0 | 6000 | 6000 | 4000 | 2000 |

अतः उपरोक्त पंचायत राजस्व बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर की जानी सुनिश्चित की जाए।

**6 अनुदान ₹27.33 लाख का उपयोग न करना :-**

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट -क** के अनुसार दिनांक 31-03-2018 तक अनुदान ₹2733079 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों को स्वीकृति पत्रों की शर्तों के अनुसार विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था, अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान की राशि को नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित विभागों को किया जाए।

**7 सोलर स्ट्रीट लाइट का क्रय हिम उर्जा से न करने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा 0.41लाख का किया गयाअनियमित व्यय:-**

जाँच के दौरान पाया गया कि विभिन्न वाउचरों के अन्तर्गत वाउचर संख्या 27 क्रम (i) से ( v) तक दिनांक 26-09-15 के अन्तर्गत 9 सोलर स्ट्रीट लाइटो के क्रय करने पर निम्न विवरणानुसार विनसेंट एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जयपुर ब्रांच ऑफिस गगरेट(हि० प्र०)को ₹179100 का भुगतान किया गया है ।

| क्र0 सं0 | वाउचर संख्या / दिनांक | सामान का विवरण | मात्रा | दर | मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27(i) / 26-09-15 | सोलर स्ट्रीट लाइट | 2 | 19900 | 39800 |
| 2 | 27(ii) / 26-09-15 | सोलर स्ट्रीट लाइट | 2 | 19900 | 39800 |
| 3 | 27(iii) / 26-09-15 | सोलर स्ट्रीट लाइट | 2 | 19900 | 39800 |
| 4 | 27 (iv) / 26-09-15 | सोलर स्ट्रीट लाइट | 2 | 19900 | 39800 |
| 5 | 27 (v) / 26-09-15 | सोलर स्ट्रीट लाइट | 1 | 19900 | 19900 |
| | | | | **योग** | **179100** |

उपरोक्त उल्लेखित सोलर स्ट्रीट लाइटो का क्रय सरकारी उपक्रम हिम उर्जा से न करके विनसेंट एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जयपुर ब्रांच ऑफिस गगरेट (हि० प्र०) से किया गया है। तदोपरान्त सरकारी उपक्रम हिम उर्जा से वाउचर संख्या 18 दिनांक 14-06-17 के अन्तर्गत सोलर स्ट्रीट लाइटो का क्रय ₹15356 की दर से किया गया है। फलस्वरूप पूर्व में उल्लेखित 9 सोलर स्ट्रीट लाइटो को सरकारी उपक्रम हिम उर्जा से क्रय न करने का कारण ग्राम पंचायत द्वारा ₹4544 (19900-15356) प्रति सोलर स्ट्रीट लाइट की दर से 9 सोलर स्ट्रीट लाइटो पर ₹40896 (4544x9) का अपव्यय किया गया है। अतः उपरोक्त उल्लेखित 9 सोलर स्ट्रीट लाइटो का क्रय सरकारी उपक्रम हिम उर्जा से न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व 9 सोलर स्ट्रीट लाइटो का क्रय सरकारी उपक्रम हिम उर्जा से न करने के कारण किए गए अपव्यय ( अधिक एवं गलत भुगतान) ₹40896 का उतरदायित्व निर्धारण करने उपरान्त उक्त अधिक एवं गलत भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित उतरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए तदानुसार कृत कार्यवाही से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

**8 औपचारिकताओं को पूर्किए बिना ₹8.24 लाख का क्रय करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5) द्वारा स्टोक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट ग** में दिया गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹824369 की निर्माण सामग्री व अन्य सामान का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण कि ये बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः निर्माण सामग्री का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**9 उचित कैश मेमो के बिना ₹5.54 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-**

जाँच के दौरान पाया गया कि स्वंय स्त्रोत व अनुदान निधि से **परिशिष्ट -घ** पर दिए गए विवरणानुसार ₹553892 की निर्माण सामग्री का क्रय किया गया, लेकिन उक्त निर्माण सामग्री को क्रय करने हेतु उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बना कर भुगतान किया गया है। अतः उक्त निर्माण सामग्री को क्रय करने हेतु उचित बिल प्राप्त न करने का औचित्य स्पष्ट

किया जाए व ₹553892 की क्रय की गई निर्माण सामग्री से सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से उचित बिल प्राप्त करके सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

10 **₹14.05 लाख के क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टीयाँ व खपत /जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज न होना :-**

जांच के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट -ड.**पर दिए गए विवरणानुसार ₹1404638.50 का सामान क्रय किया गया था, लेकिन उक्त क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टीयाँ व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं है । स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख के अभाव में उक्त क्रय किए गए सामान के किसी भी दुरूपयोग की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः वांछित अभिलेख तैयार करके आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 **मनरेगा में मस्टररोलो के अंतर्गत भुगतान की गई मजदूरी ₹11.73 लाख के फण्ड हंस्तान्त्रण आदेश (FTO) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-**

**क)** जाँच के दौरान पाया गया कि मनरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत ललड़ी द्वारा **परिशिष्ट -च** पर दिए गए विवरण अनुसार करवाए गए विभिन्न विकास कार्यों में मस्टररोलो के अंतर्गत भुगतान की गई मजदूरी ₹1173054 के फण्ड हंस्तान्त्रण आदेश ( FTO) अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके फलस्वरूप यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि जितनी मजदूरी मस्टररोलो के अंतर्गत भुगतान की गई दर्शाई है वास्तव में उतनी ही मजदूरी सम्बन्धित व्यक्तियों के बैंक खातों में भी हस्तांतरित हो गई है। अतः उक्त मस्टररोलो के अंतर्गत भुगतान की गई मजदूरी के फण्ड हंस्तान्त्रण आदेश ( FTO) आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

**ख)** **परिशिष्ट -च.**पर दर्शाए गए विवरण अनुसार क्रम संख्या 1 से 44 पर उल्लेखित भुगतान की गई मजदूरी ₹1173054 से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएँ जहाँ पर कार्य प्रगति (progress) दर्ज है, अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं की गई है । अतः उक्त कार्यों से सम्बंधित माप पुस्तिकाएँ सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

## 12 प्राप्त अनुदान के लिए रसीदें जारी न करना :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (1 से 3) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय/अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गए प्रारूप – 3 में रसीद जारी करनी आवश्यक है। परन्तु ग्राम पंचायत के लेखाओं की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार रोकड़ बही में विभिन्न संस्थाओं / विभागों से अनुदान ₹854736 प्राप्त की गई दर्शाई गई है, लेकिन उक्त प्राप्त अनुदान राशियों से सम्बन्धित रसीदें जारी नहीं की गई है।

| क्रम संख्या | दिनांक | विभाग /संस्था का नाम | राशि | उद्देश्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-01-16 | जिला पंचायत अधिकारी, ऊना | 5144 | शराब कर |
| 2 | 3-02-16 | जिला पंचायत अधिकारी, ऊना | 8635 | मानदेय पंचायत अधिकारीगण |
| 3 | 3-02-16 | जिला पंचायत अधिकारी, ऊना | 19187 | कार्यालय व्यय |
| 4 | 5-02-16 | खण्ड विकास अधिकारी, हरोली | 80000 | Community Toilet |
| 5 | 9-02-16 | जिला पंचायत अधिकारी, ऊना | 566770 | 14th Finance |
| 6 | 9-02-16 | खण्ड विकास अधिकारी, हरोली | 10000 | C/o Link Road From L/R to Satsangghar |
| 7 | 9-02-16 | खण्ड विकास अधिकारी, हरोली | 5000 | C/o Link Road From L/R to Satsangghar |
| 8 | 9-02-16 | खण्ड विकास अधिकारी, हरोली | 20000 | C/o Link Road From L/R to Satsangghar |
| 9 | 9-02-16 | खण्ड विकास अधिकारी, हरोली | 10000 | C/o Link Road From L/R to Satsangghar |
| 10 | 12-02-16 | खण्ड विकास अधिकारी, हरोली | 100000 | C/o Community Building ward No -8 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 12-02-16 | खण्ड विकास अधिकारी, हरोली | 20000 | C/o Ambedkar park lalhri |
| 12 | 17-02-16 | खण्ड विकास अधिकारी, हरोली | 10000 | C/o Nehru yuvakmandal |
| | | **योग** | **854736** | |

अतः उक्त अवधि के दौरान प्राप्त अनुदानों से सम्बन्धित रसीदें जारी न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**13 एक अनुदान हेतु दो-दो रसीदें जारी करना :-**

हि० प्र० पंचायती राज (वित बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (1 से 3) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय/अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गए प्रारूप – 3 में रसीद जारी करनी आवश्यक है। परन्तु ग्राम पंचायत के लेखाओं की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार रोकड़ बही में दर्ज किए गए एक अनुदान की दो – दो रसीदें जारी की गई हैं।

| क्रम संख्या | दिनांक | रोकड़ बही पृष्ठ संख्या | विभाग /संस्था का नाम | राशि | रसीद संख्या | रसीद संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-04-15 | 22 | जिला पंचायत अधिकारी, ऊना | 60218 | 545667 | 544515 |
| 2 | 16-04-15 | 22 | खण्ड विकास अधिकारी, हरोली | 117300 | 545668 | 544516 |
| 3 | 12-05-15 | 26 | जिला पंचायत अधिकारी, ऊना | 54000 | 545669 | 544517 |
| 4 | 22-06-15 | 28 | जिला पंचायत अधिकारी, ऊना | 8635 | 545670 | 544518 |
| 5 | 8-09-15 | 36 | खण्ड विकास अधिकारी, हरोली | 150000 | 545671 | 544520 |
| 6 | 8-09-15 | 36 | खण्ड विकास | 10000 | 545672 | 544521 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | अधिकारी, हरोली | | | |
| 7 | 8-09-15 | 36 | खण्ड विकास अधिकारी, हरोली | 70000 | 545673 | 544522 |
| 8 | 8-09-15 | 36 | खण्ड विकास अधिकारी, हरोली | 80000 | 545674 | 544523 |
| 9 | 23-09-15 | 40 | खण्ड विकास अधिकारी, हरोली | 100585 | 545676 | 544524 |
| 10 | 23-09-15 | 40 | खण्ड विकास अधिकारी, हरोली | 40000 | 545677 | 544525 |
| 11 | 29-10-15 | 64 | खण्ड विकास अधिकारी, रोली | 150000 | 545679 | 544527 |
| 12 | 29-10-15 | 64 | खण्ड विकास अधिकारी, हरोली | 20000 | 545680 | 544528 |
| 13 | 30-10-15 | 65 | खण्ड विकास अधिकारी, हरोली | 200000 | 545681 | 544529 |
| 14 | 30-10-15 | 90 | खण्ड विकास अधिकारी, हरोली | 40000 | 545684 | 544530 |
| 15 | 1-12-15 | 92 | खण्ड विकास अधिकारी, हरोली | 80000 | 545685 | 544532 |
| 16 | 5-12-15 | 96 | जिला पंचायत अधिकारी, ऊना | 5550 | 545686 | 544533 |
| 17 | 5-12-15 | 96 | जिला पंचायत अधिकारी, ऊना | 22500 | 545687 | 544534 |
| | | | **योग** | **1208788** | | |

अतः उक्त अवधि के दौरान प्राप्त एक अनुदान हेतु दो-दो रसीदें जारी करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में नियमानुसार एक अनुदान हेतु एक ही रसीद जारी करनी सुनिश्चित की जाए।

**14 अंकेक्षण अवधि 1-04-15 से 31-03-18 तक के दौरान क्रय सामग्री की मात्रा की मापन ईकाई को ट्राली के रूप में गलत दर्शाना :-**

हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या: पी सी एच – एच (5) सी (15) 313/89 दिनांक 16-07-2016 के अनुसार "ग्राम पंचायत रेत, बजरी, पत्थर, सीमेंट व

लकड़ी आदि के क्रय के सन्दर्भ में निर्धारित ईकाई को ध्यान में रखकर क्रय करें जैसे रेत, बजरी निर्धारित घन फुट ( cubic foot) के अनुसार" परन्तु जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत ललड़ी द्वारा अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के दौरान निर्माण कार्यों हेतु सामग्री के रूप में क्रय रेता, बजरा, बजरी पत्थर की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति एवं जारी/खपत प्रविष्टियाँ ट्राली इत्यादि के रूप में दर्ज की गई व तदानुसार माप पुस्तिकाओं में कार्य का मूल्यांकन करते समय सम्पूर्ण सामग्री जैसे कि रेता, बजरा, बजरी पत्थर इत्यादि को ट्राली के रूप में दर्शाया गया है। जो कि कार्य नियमों की गम्भीर अवहेलना होने के साथ-साथ अव्यवहारिक एवं आपतिजनक है एवं नियमानुसार निर्माण कार्यों हेतु सामग्री के रूप में क्रय रेता, बजरा बजरी पत्थर इत्यादि की मात्रा को घनफुट या घनमीटर में ही मापा जा सकता है व ट्राली/ फुट के रूप में मापन असम्भव है। अतः निर्माण कार्यों हेतु सामग्री के रूप में रेता, बजरा, बजरी, पत्थर की मात्रा को घनफुट या घनमीटर में क्रय न करके ट्राली के रूप में क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में निर्माण कार्यों हेतु सामग्री के रूप में रेता, बजरा, बजरी, पत्थर की मात्रा को घनफुट या घनमीटर में क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए। तदानुसार अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**15 स्त्रोत पर कर कीकटौती न करना :-**

आयकर की धारा 194 (सी) में विहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी वितीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति संविदाकार अथवा फर्म को किये गए ₹30000 से अधिक के किसी भी एकल भुगतान अथवा ₹75000 से अधिक सकल भुगतान पर 2% की दर से व एकल व्यक्ति की अवस्था में 1% की दर से स्त्रोत पर कर की कटौती की जानी अपेक्षित है, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई है। अतः अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 तक स्त्रोत पर कर की कटौती न करने के कारण स्पष्ट किए जायें ब भविष्य में बिहित प्रावधानों के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौती की जानी सुनिश्चित की जाए।

**16 मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख-रखाव न किया जाना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 74(4) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को फॉर्म 10 में पंचायत को वर्ष के दौरान संभावित समस्त आय के लिए मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख-रखाव करना होगा। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रावधान की अवहेलना करते हुए इस रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया

गया है व न ही अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया गया। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार मांग व प्राप्ति रजिस्टर का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

**17 नियमानुसार निवेश न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Fund) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेश किया जाना अपेक्षित है कि इन पर ब्याज के रूप में अर्थात आय प्राप्त की जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। जबकि वितीय स्थिति के अवलोकन में यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। नियमानुसार निवेश न करने के कारण पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस वारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार निवेश करना सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप -1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। अतः भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार निवेश रजिस्टर का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए।

**18 स्टोर सामग्री का क्रय व उपायन करने के प्रयोजन हेतु उप समिति का गठन न करना :-**

हिमाचल पंचायती राज ( वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्टोर (सामान) के क्रय व उपायन के प्रयोजन से निम्नलिखित विधि से एक उप समिति गठित करेगी।

**(क)** ग्राम पंचायत की दशा में प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले दो वार्ड सदस्य व ग्राम पंचायत का सचिव।

अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत ललड़ी द्वारा स्टोर (सामान) का क्रय करने व उपायन हेतु उप समिति का गठन नहीं किया गया था। जो कि पंचायती राज ( वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) की अवहेलना है। अतः स्टोर (सामग्री) उपायन समिति के गठन के बिना क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अंकेक्षण अवधि के दौरान उप समिति के गठन के बिना अनियमित रूप से क्रय की गई स्टोर (सामग्री) को सक्षम अधिकारी से कर्योतर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए।

**19 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन न करना :-**

हिमाचल पंचायती राज ( वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उप नियम 93 के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अनिवार्य है, ताकि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। सहभागी समिति निम्नलिखित सदस्य शामिल कर गठित की जानी अपेक्षित थी।

(i) सम्बन्ध ग्राम पंचायत का प्रधान/उप प्रधान

(ii) सम्बन्ध वार्ड का ग्राम पंचायत सदस्य

(iii) महिला मंडल से एक सदस्य

(iv) सम्बन्ध क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थान से एक सदस्य

अंकेक्षण अवधि के अंतर्गत ग्राम पंचायत ललड़ी द्वारा निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया था व सभी कार्य सहभागी समिति के बिना स्वंय करवाए गए हैं, जो कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के अध्याय – ण के उप नियम – 93 व पारदर्शी नियमों की अवहेलना है। अतः निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सहभागी समिति के अनुमोदन के बिना अनियमित रूप से करवाए गए सभी कार्यो को सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए व भविष्य में प्रत्येक निर्माण कार्य सहभागी समिति अथवा उप नियम – 93 (b) के अनुसार पंजीकृत संस्था जैसे कि महिला मण्डल, युवक मण्डल व वाटर शैड कमेटी इत्यादि के माध्यम से करवाए जाने सुनिश्चित किए जाएं। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**20 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-**

हिमाचल पंचायती राज ( वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 व 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया

जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है । अतः नियमानुसार इन रजिस्टरों/ अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

| क्रम संख्या | रजिस्टर /अभिलेख | फार्म संख्या | संदर्भित नियम |
|---|---|---|---|
| 1 | निवेश रजिस्टर | 1 | 12 |
| 2 | अस्थाई अग्रिम रजिस्टर | 9 | 30 |
| 3 | निर्माण कार्यों का रजिस्टर | | 103 |
| 4 | मासिक समाधान विवरणी | | 15 (1) |
| 5 | विभिन्न अनुदानों के बही खाते | 7 | 29(1) |
| 6 | मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर | 10 | 33 व 77(4) |
| 7 | अनुदान रजिस्टर | 21 | 61(1) |
| 8 | डाक रजिस्टर | 24 | 61(2) |
| 9 | स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर | 25 व 26 | 72(1) |

**21 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा रखे जानेअभिलेख का रख-रखाव न करना :-**

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित अभिलेख रखा जाना अनिवार्य है।

(i) रोजगार रजिस्टर ( B-9)

(ii) शिकायत रजिस्टर (B-11)

(iii) आवेदन पंजीकरण रजिस्टर (B-7)

ग्राम पंचायत , ललड़ी द्वारा उपरोक्त अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में अपेक्षित अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**22 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट

प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार /अनुमोदित न करने के कारणों को स्पस्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

**23 रसीद बुकों का स्टॉक नियमानुसार न रखा जाना :-**

रसीद बुकों के स्टॉक की जांच करने पर पाया गया की इसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (5) के प्रावधानों के अनुसार नहीं रखा जा रहा है। इस नियम के अन्तर्गत रसीद बुकों के अभिलेखन के सन्दर्भ में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:-

**क)** इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद बुकों का अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य ) नियम, 1997 के नियम 34 में प्राबधित फॉर्म –2 में रसीदों के स्टॉक रजिस्टर में रखा जाएगा।

**ख)** खाली रसीद बुकें सचिव की निजी अभिरक्षा में अलमारी में ताला लगा कर रखी जाएगी।

**ग)** नई रसीद बुकों को प्रारम्भ करने से पूर्व प्रधान द्वारा उसमें पाई गई खाली रसीदों को प्रमाण पत्र सहित सत्यापित किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13(5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत /जारी खाली रसीदों का प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप " 4" के अनुसार बनाये गए स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम पंचायत ललड़ी द्वारा रसीदों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**24 प्रत्यक्ष सत्यापन :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार

प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

25 **लघु आपति विवरणिका-** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

26 **निष्कर्ष :-**लेखों के रख-रखाव में सुधार के अतिरिक्त पंचायती राज अधिनियम में विहित नियमों की कड़ाई से अनुपालना की जानी नितांत जरूरी है ।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(v) 38/2018 खण्ड–1–5282–5285 दिनांक 06.08.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत ललड़ी, विकास खण्ड हरोली, तहसील हरोली, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 कसुम्पटी, शिमला 171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, ऊना जिला ऊना हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हरोली, तहसील हरोली, जिला ऊना हि0प्र0।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046